न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 34/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/69

निर्णय दिनांक 29 .05.2024

भंवरनाथ पुत्र मोहननाथ जाति नाथ निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ ।
2. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, श्रीडूंगरगढ़

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की तरफ से प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा नंबर 1258/1226 क्षेत्रफल 1.2600 हैक्टेयर बारानी वाके रोही जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है व प्रार्थी एक संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 1225/835 क्षेत्रफल 2.5300 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 22771/25300 हिस्सा व गौण प्रतिवादी संख्या 3 1529/25300 हिस्सा मुतांबिक राजस्व रिकॉर्ड के अवस्थित है। प्रार्थी ने खेत खसरा नम्बर 609 मीन (पश्चिमी) तादादी 31 बीघा 10 बिस्वा (मय गै. मु. 4 बिस्वा) बारानी दोयम रोही ग्राम जोधासर में से उतरी तरफ से 10 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद किया था तथा विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ दिनांक 04.04.2006 को करवाया गया। जो आगे चलकर खसरा नम्बर 609 मीन का खसरा नम्बर 835 कायम हुये। खसरा नम्बर 835 की तरमीम की गई जिसके नये खसरा नम्बर 1225/835 व 1226/835 कायम हुये लेकिन नक्शा में तरमीम विक्रय अनुसार नहीं की गई। प्रार्थी ने खेत खसरा नम्बर 1226/835 तादादी 5.44 हैक्टेयर बारानी में से 1.26 हैक्टेयर रोही ग्राम जोधासर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से दिनांक 03.02.2009 को खरीद की थी जिसके खसरा नम्बर 1258/1226 तादादी 1.26 हैक्टेयर रोही ग्राम जोधासर कायम हुये। लेकिन पूर्व की तरमीम सही नहीं होने से उक्त कृषि भूमि की भी तरमीम गलत हो गई । खरीद व मौका कब्जा अनुसार नहीं हुई। प्रार्थी ने मूल खसरा नम्बर 906 मीन पश्चिमी जिसके आगे चलकर खसरा नम्बर 835 रोही ग्राम जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ कायम हुये। उपरोक्त भूमि के उतरी तरफ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसके नये खसरा नम्बर 809 है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से उसकी खातेदारी कृषि भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 835 पुराने खसरा नम्बर 609 मीन पश्चिमी में से उतरी तरफ अपने खेत के दक्षिणी सींव के चिपते चिपते 10 बीघा व 1.26 हैक्टेयर खरीद की थी तथा मौका पर खरीद अनुसार कब्जा काश्त प्राप्त किया था लेकिन हल्का पटवारी द्वारा विक्रय पत्र अनुसार तरमीम नहीं की है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1225/835 तादादी 2.53 हैक्टेयर रोही ग्राम जोधासर में से 2529/25300 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय किया है जिनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। खसरा नम्बर 1259/1226 रोही ग्राम जोधासर अप्रार्थी संख्या 4 पक्ष में रहने से पक्षकार संयोजित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 से किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी ने दिनांक 31.01.2023 को अपनी कृषि भूमि के नक्शे ऑनलाईन निकलवाये तब उक्त नक्शे में त्रुटि की जानकारी हुई । प्रार्थी को नक्शे की त्रुटि के सम्बन्ध में दिनांक 31.01.2023 को जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से मिला व नक्शा शुद्धि हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने क्षेत्राधिकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:39:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

होने का कहकर शुद्धि से इन्कार कर दिया । वादगत खेत रोही ग्राम जोधासर तहसील गरगढ में स्थित होने से प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है ना – पत्र पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है। प्रार्थना पर श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर खेत खसरा नम्बर 1259/1226 तादादी 4.1800 हैक्टेयर, खसरा र 1258/1226 तादादी 1.26 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1225/835 तादादी 2.53 हैक्टेयर ा ग्राम जोधासर के ट्रेस नक्शों को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व खरीद अनुसार शुद्धि ये जाने का आदेश फरमावें जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। र्थी द्वारा खसरा नंबर 1225/835 रकबा 2.5300 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 03 बलेदव सिंह ा सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया जा चुका है एवं उक्त कृषि भूमि का इंतकाल भी प्रार्थी के नाम जस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 3 का उक्त खेत में किसी प्रकार का हित स्सा नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 बलेदव सिह का नाम हटाया गया। प्रतिवादी ख्या 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब श किया। बहस उभयपक्षकरान सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए थन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा, श्रीडूंगरगढ ने खसरा नंबर 1225/835 व खसरा नंबर 1258/1226 के संबंध में प्राप्त ऋण चुकता किया जा चुका है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय लिया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्रदान करें।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1259/1226 तादादी 4.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1258/1226 तादादी 1.26 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1225/835 तादादी 2.53 हैक्टेयर वाकेरोही जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम मौका कब्जा अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक २३.५.२०२४ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:09:20 IST
Reason: SelfAttested